प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2015**

विषय- वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन में नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों को डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ के मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पद पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के नर्सिंग संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2059/दस-54-(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा लिये गये निर्णयों तथा वेतन समिति (2008) के 14वें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-109/दस-54(एम)/2010 टी0सी0 दिनांक 27 फरवरी, 2013 में लिये गये यह निर्णय कि स्वशासी संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के पदों पर राजकीय विभागों के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार वेतनमान एवं संवर्गीय ढाचा लागू किया जाय, के अनुपालन में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ में उपलब्ध नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न पदों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2887/71-2-14-आर0एम0-3-2008, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 निर्गत किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 में मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पद के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है। अतएव प्रकरण में प्राप्त अभिलेखों एवं निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम तथा स्तम्भ-3 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2006 से अनुमन्य वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर दिनांक 27 फरवरी, 2013 से स्तम्भ-4 के अनुसार पदनामित करने एवं स्तम्भ-5 के अनुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) अनुमन्य कराने एवं स्तम्भ-6 के अनुसार शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-230/दस-2015, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-46/2015/1471(1)/71-2-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-46/2015/1471/71-2-15-आर0एम0-03-2008, दिनांक 28 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

क्र0	वर्तमान पदनाम	वर्तमान वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड ग्रेड वेतन)	परिवर्तित पदनाम	संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड ग्रेड वेतन)	भर्ती की विधि, शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	वे0बै0-3-15600-39100 एवं 6600/-	मुख्य नर्सिंग अधिकारी	वे0बै0-3-15600-39100 एवं 7600/-	बी0एस0सी0 नर्सिंग और 10 वर्ष का अनुभव और कम से कम 05 वर्ष का प्रशा0 अनुभव (यथा उप नर्सिंग अधीक्षक/नर्सिंग अधीक्षक) किसी बडे चिकित्सालय या मेडिकल कालेज में। एम0एस0सी0 (नर्सिंग) के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।